जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-23.08.2025

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने के मामलें में वाछिंत 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा दिनाँक 16.08.2025 को थाना थानाभवन पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनाँक 23.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.रूद्र पुत्र यशपाल निवासी ग्राम कोटा थाना नागल जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री जयप्रकाश सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.है0का0 बाबूराम थाना थानाभवन जनपद शामली।

3.का0 शेखर सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली।

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा जनपद मु0नगर स्थित जिला कारागार मु0नगर का औचक निरीक्षण कर सम्बन्धित को दिये आवश्यक दिशा-निर्देश।

आज दिनांक 23.08.2025 को जिलाधिकारी शामली श्री अरविन्द चौहान व पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम द्वारा जनपद मुज़फ्फरनगर स्थित जिला कारागार में महिला व पुरूष जेल बैरिकों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बंदियों के बैरिको में कोई संदिग्ध वस्तु प्राप्त नही हुई। इस के अतिरिक्त निरीक्षण के दौरान जेल में बंद महिला/पुरूष कैदियों के लिए बने जिला कारागार के भोजनालय, चिकित्सा व्यवस्था हेतु अस्पताल, पुस्तकालय तथा कैदियों के रहने हेतु बने बैरकों की साफ-सफाई एवं रख-रखाव हेतु जिला कारागार के अधिकारीगण को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। महिला/पुरूष बंदियों को स्वस्थ रहने हेतु योग करने तथा सजा पूर्ण कर चुके बंदियों की रिहाई पर उन्हें आगामी जीवन मे अच्छे आचरण व मधूर व्यवहार रखने की सलाह दी गई। इस निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक मु0नगर श्री अभिषेक चौधरी व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 10 लीटर कच्ची शराब बरामदः-

दिनांक 22.08.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त अनस पुत्र रहीश निवासी ग्राम गढ़ी हसनपुर थाना झिंझाना जनपद शामली को अवैध 10 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.अनस पुत्र रहीश निवासी ग्राम गढ़ी हसनपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0-355/25 धारा 354/504/506 भादवि0 व 10/9एस पौक्सो एक्ट थाना झिझाना जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0-413/25 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना झिझानाजनपद शामली ।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 10 लीटर कच्ची शराब।

"आपरेशन क्लीन" अभियान के अन्तर्गत थाना बाबरी पुलिस द्वारा थाना प्रांगण में खड़े मुकदमाती/एमवी एक्ट के अन्तर्गत कुल 43 वाहन (15 वाहन चार पहिया, 28 वाहन दो पहिया) को नीलाम कराये जाने के संबंध मेः-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन क्लीन” अभियान के क्रम में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में गठित समिति व जिलाधिकारी शामली व पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक के निर्देशन में जनपद शामली के थाना बाबरी पर विगत कई वर्षों से खडे सीजशुदा/मुकदमाती वाहनों की नीलामी हेतु एक संयुक्त टीम गठित की गयी, जिसमें श्री विनय प्रताप भदौरिया (उप जिला मजिस्टेट), क्षेत्राधिकारी थानाभवन श्री जितेन्द्र सिहं, सम्भागीय परिवहन अधिकारी श्री रोहित कुमार राजपूत, अभियोजन अधिकारी श्री श्रीचन्द व थानाध्यक्ष बाबरी राहुल कादयान शामली मौजूद रहे । आज दिनांक 23.08.2025 को थाना बाबरी पर कुल 43 वाहन (15 वाहन चार पहिया, 28 वाहन दो पहिया) को थाना प्रांगण में बोली दाताओं के साथ मूल्याकन कर नीलामी कराई गई। जिसमें 37 वाहनो के न्यूनतम मूल्य 206000/- रूपये के सापेक्ष अधिकतम बोलीदाता श्री आसमौहम्मद पुत्र नईम निवासी बनत थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली के द्वारा सबसे अधिक बोली 11,65,000/- रूपये नीलाम तथा 06 वाहनो के न्यूनतम मूल्य 38200/- रूपये के सापेक्ष अधिकतम बोलीदाता श्री साजिद पुत्र मजीद निवासी मौहल्ला आलदरमियान कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली के द्वारा सबसे अधिक बोली 200000/- रूपये मे नीलाम हुए। कुल 43 वाहनों की नीलाम हुए वाहनों से प्राप्त 13,65000/- रुपये की धनराशि राजस्व के रुप मे हुई है।